Note: Please read the instructions given below carefully regarding the examination.

General Instructions

1. परीक्षा प्रारंभ होने से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। अर्थात प्रथम पाली का प्रवेश द्वार सुबह 8:45 बजे तथा द्वितीय पाली का प्रवेश द्वार दोपहर 1:45 बजे बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

   The entry will be closed 45 minutes before the examination begins. That is, the entry gate for the first shift will close at 8:45 AM, and for the second shift at 1:45 PM. No candidate will be allowed to enter the examination centre after the closing of the entry gate.

2. आपके आवेदन पत्र में दी गई अर्हता/पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है। अतः विज्ञापन में वर्णित अर्हता/पात्रता को ध्यानपूर्वक पढ़कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि आप पूर्णतः पात्र हैं, और केवल उसी स्थिति में परीक्षा में सम्मिलित हों। यदि आयोग द्वारा जांच के किसी भी स्तर पर आप अयोग्य/अपात्र पाए जाते हैं, तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

   The eligibility/qualification mentioned in your application form has not been verified by the Commission. Therefore, carefully read the eligibility criteria mentioned in the advertisement and ensure that you are fully eligible before appearing for the examination. If, at any stage of verification by the Commission, you are found ineligible/disqualified, your candidature will be cancelled.

3. सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 3 फोटो एवं एक पहचान पत्र (जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी आईडी कार्ड, या आधार कार्ड) की मूल प्रति तथा एक छायाप्रति लेकर उपस्थित हों। मांग किए जाने पर उन्हें प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

   All candidates must appear at the examination center with 3 photographs and an original ID proof (such as a Driving License, PAN Card, Voter Identity Card, ID Card issued by the Central/State Government, or Aadhaar Card) along with a photocopy. It is mandatory to present them if requested.

4. कृपया अपना प्रवेश पत्र अपने साथ लाएँ, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है।

   Please bring your admit card with you; otherwise, you may be prevented from appearing in the exam.

5. वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए कोई दण्ड नहीं है:
   - प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं।
   - यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा।

   In objective-type question papers, no penalty is imposed for incorrect answers.
   - Each question has four multiple-choice answers.
   - If a candidate selects more than one answer, it will be considered an incorrect answer.

6. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना क्लिपबोर्ड या हार्ड बोर्ड/कार्ड बोर्ड (जिस पर कुछ लिखा न हो) और काली स्याही का बॉल प्वाइंट पेन साथ लेकर आएं। अभ्यर्थी काले बॉल प्वाइंट पेन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की स्याही का प्रयोग कदापि न करें।

   i. अभ्यर्थी को किसी तरह का मोबाइल फोन, टैबलेट, पैन डाईव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, डिवाईस, ईयरफोन, किसी भी तरह की हाथ की घड़ी, ए.टी.एम. कार्ड, कोई विद्युत सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, कागज पर बनी सारणियाँ ग्राफ शीट, मानचित्र, स्लाइड रूल्स को ले कर परीक्षा केन्द्र के भीतर जाने की अनुमति नहीं है।

   ii. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी प्रकार की सामग्री का आपस में आदान-प्रदान अनुमन्य नहीं है।

   iii. उपरोक्त बिंदु 6(i) में बताई गई वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के बाहर निर्धारित स्थान पर जमा करनी होगी। हालांकि इन वस्तुओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाएगी, फिर भी यदि कोई सामान खो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी आयोग की नहीं होगी।

   Candidates are advised to bring their own clipboard or hardboard/cardboard (which should not have any writing on it) and a black ink ballpoint pen. Candidates must not use any ink other than black ballpoint pens.

   i. Candidates are not allowed to enter the examination centre with any mobile phone, tablet, pen drive, hard disk, data card, calculator, Bluetooth device, ear phone, any type of wrist watch, ATM card, any electrical device made of metal, any type of ear machine, tables made on paper, graph sheets, maps, slide rules etc.

   ii. The exchange of any materials among candidates inside the examination hall is strictly prohibited.

   iii. Apart from the items mentioned in point 6(i), candidates must deposit any other items at the designated area outside the examination center. Although arrangements will be made for the safety of these items, the Commission will not be responsible if any belongings are lost.

7. यदि किसी अभ्यर्थी के पास परीक्षा के दौरान नकल से संबंधित कोई सामग्री पाई जाती है, तो उसे न केवल परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है, बल्कि आयोग की आगामी परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं से भी वंचित (डिबार) किया जा सकता है, चाहे उस सामग्री का उपयोग नकल करने के लिए किया गया हो या नहीं।

   If any candidate is found in possession of any material related to cheating during the examination, he may not only be expelled from the examination but may also be debarred from future examinations and selection processes conducted

by the Commission, regardless of whether the material is used for cheating or not.

8. परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को अन्तिम आधे घण्टे में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

   During the examination, no candidate will be allowed to leave the examination hall in the last half hour.

9. i. प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक प्राप्त होने पर उन्हें ध्यानपूर्वक जांच लें। यदि प्रश्न पुस्तिका का कोई पृष्ठ गायब हो, उत्तर पत्रक में गोल आकृतियाँ मुद्रित न हों, या वह क्षतिग्रस्त हो, तो तुरंत अंतरीक्षक को सूचित करें और प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक वापस करके नए प्राप्त करें।

   Upon receiving the question booklet and answer sheet, carefully check them. If any page of the question booklet is missing, if the answer sheet does not have printed circles, or if it is damaged, immediately inform the invigilator and return the question booklet and answer sheet to obtain new ones.

   ii. उत्तर पत्रक में भरी गई सूचनाओं को व्हाइटनर, ब्लेड या रबर आदि से मिटाना प्रतिबंधित है। यदि उत्तर पत्रक में गोलों को सही से काला नहीं किया जाता है या कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरी जाती है, तो उत्तर-पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, और इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

   The informations filled in the answer sheet must not be erased using whitener, blade, or eraser. If the circles are not properly darkened or any information is incorrectly filled, the answer sheet will not be evaluated, and the candidate will be solely responsible for this.

   iii. परीक्षा समाप्त होने के बाद, उत्तर पत्रक की प्रतियों को अभ्यर्थी स्वयं अलग नहीं करेंगे। अभ्यर्थी को सभी पत्रक जुड़ी हुई स्थिति में अंतरीक्षक को सौंपनी होंगी। अंतरीक्षक उत्तर पत्रकों की गणना करने के बाद तीनों प्रतियों को अलग करेंगे और अभ्यर्थियों को अभ्यर्थी प्रति दे देंगे। अभ्यर्थी को तब तक अपनी सीट पर बैठे रहना होगा। परीक्षा समाप्त होने के बाद, अभ्यर्थियों को अपने साथ अपनी उत्तर पत्रक की प्रति और प्रश्न पुस्तिका ले जाने की अनुमति होगी।

   After the examination, candidates must not separate the copies of the answer sheet themselves. All sheets should be handed over to the invigilator in their original attached form. The invigilator will count the answer sheets, separate them, and then return the candidate's copy to them. Candidates must remain seated until they receive their copy. After the examination, candidates are allowed to take their answer sheet copy and question booklet with them.

10. अभ्यर्थी अपने पीने के लिए पारदर्शी पानी की बोतल साथ रख सकते हैं।

    Candidates are allowed to carry a transparent water bottle for drinking purposes.

11. वे दिव्यांग अभ्यर्थी, जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त हैं, अपने साथ श्रुतलेखक (स्क्राइब) ला सकते हैं, लेकिन आयोग द्वारा उन्हें कोई यात्रा भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने श्रुतलेखक एवं प्रतिपूरक समय की मांग की है या केवल प्रतिपूरक समय की मांग की है, उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार 20 मिनट प्रति घंटे का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी श्रुतलेखक एवं प्रतिपूरक समय का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए परीक्षा कक्ष में उपयुक्त बैठने की व्यवस्था (अधिमानतः भूतल पर) परीक्षा प्रारंभ होने से पहले सुनिश्चित की जाएगी, और अंतरीक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान केंद्र पर्यवेक्षक को श्रुतलेखक और प्रतिपूरक समय की सूचना देंगे। अभ्यर्थी को अपने साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पहचान पत्र एवं दो पासपोर्ट आकार के फोटो लाने होंगे। 'श्रुतलेखक' हेतु परीक्षा के समय में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था उ0प्र0, शासनादेश संख्या-आई0/210789/2022/65 3099/135/2022 दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 08 सितम्बर 2022 में विहित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार होगी। केंद्र पर्यवेक्षक ऐसे अभ्यर्थियों से अभिवचन - पत्र भरवाएंगे और परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थी के दिव्यांगता प्रमाण पत्र, श्रुतलेखक के पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) एवं शैक्षिक अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

    Candidates with disabilities of 40 percent or more may bring a scribe (writer) with them; however, no travel allowances will be provided to them by the Commission. Candidates who have requested a scribe and compensatory time, or who have requested only compensatory time, will be provided compensatory time at the rate of 20 minutes per hour as per their requirement. For candidates availing the facility of a scribe and compensatory time, suitable seating arrangements (preferably on the ground floor) will be ensured in the examination hall before the commencement of the examination, and the invigilation arrangements will be strengthened. Candidates with disabilities shall inform the Centre Supervisor about the scribe and compensatory time during the examination at the examination centre. The candidate must bring identity proof, two passport-size photographs, along with disability certificate. The provision regarding arrangement of scribe and compensatory time shall be in accordance with the guidelines prescribed in Uttar Pradesh Government Order No. I/210789/2022/65 3099/135/2022, Department of Empowerment of Persons with Disabilities Section-3, Lucknow, dated 08 September 2022, and other government orders issued from time to time. The Centre Supervisor will get an undertaking form filled from such candidates and, after the examination, will attach copies of the candidate's disability certificate, the scribe's identity proof (ID proof), and educational records, and send them to the Commission office.

12. **उ.प्र. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024:**

    उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (उ.प्र. अधिनियम संख्या-8, वर्ष 2024), दिनांक 06 अगस्त 2024 को प्रकाशित किया गया है। इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या कराना, प्रतिरूप धारण करना, प्रश्नपत्र का प्रतिलिपिकरण या उसका अनाधिकृत रूप से खुलासा करना, या इस कार्य में षड्यंत्र करना—इन सभी को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है।
- ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा दोनों ही दी जा सकती हैं।

Uttar Pradesh Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024: The Uttar Pradesh Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 (U.P. Act No. 8, Year 2024), was published on August 6, 2024. The provisions of this act are as follows:

- The use of unfair means in the examination, cheating or facilitating cheating, impersonating in the examination, copying or unauthorized disclosure of question papers, or conspiring to do so—all these actions are considered offenses punishable under this act.
- On being found guilty in such cases, the punishment may include a fine of up to one crore rupees and life imprisonment.

13. OMR उत्तर पत्रक तथा फोटोयुक्त उपस्थिति सूची में सभी प्रविष्टियाँ सावधानीपूर्वक भरें। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है, तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक व उत्तर पत्रक (ओ.एम.आर.) क्रमांक भिन्न हो सकते हैं। ओ.एम.आर. के निर्धारित स्थान पर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक सावधानी पूर्वक भरें।

    All entries in the OMR answer sheet and the photo-attached attendance list must be filled in carefully. If any mistake is made by the candidate, they will be solely responsible for it. The question booklet number and answer sheet (OMR) number may be different. Fill in the question booklet number carefully in the designated place on the OMR.

14. इस स्लिप पर अंकित विवरण में कोई त्रुटि होने पर तुरन्त आयोग से संपर्क करें।

    If there is any error in the details on this slip, contact the Commission immediately.

OMR उत्तर पत्रक भरने/चिह्नित करने के लिए निर्देश
Instructions for filling / marking the OMR answer sheet

एक उदाहरण नीचे दिया गया है कि रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका संख्या और अन्य प्रविष्टियाँ कैसे भरें/चिह्नित (काला) करें।

An example is given below how to fill/mark (darken) Roll No., Question Booklet No. and other entries accordingly.

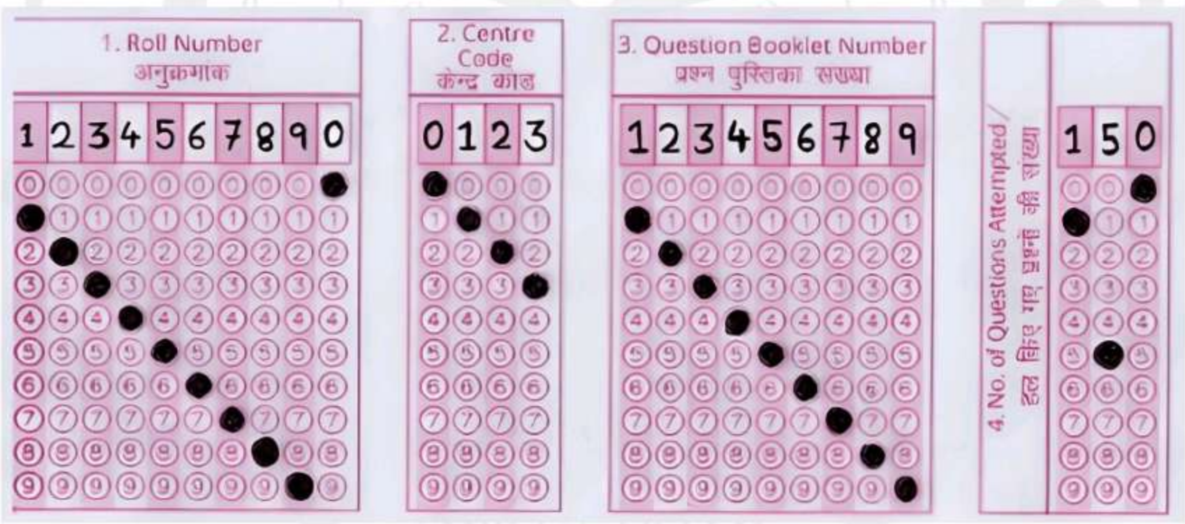

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा नीचे दिया गया है।

Darken ONLY ONE CIRCLE for each Question as shown below: